न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 431/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– मोहनलाल पुत्र बद्रीनारायण 2– खींवराज पुत्र बद्रीनारायण 3– श्यामसुन्दर पुत्र बद्रीनारायण 4– पुखराज पुत्र. बदीनारायण 5– प्रदीपकुमार पुत्र. बद्रीनारायण 6– राधा पत्नी बद्रीनारायण सभी जातियान महाजन निवासी बेरडो का बास, बारनाऊ, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर

राजस्व अपील 'अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा आदेश कमांक न्याय/2018/1008 दिनांक 30–5–2018 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री लादूराम पूनिया अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 12–2–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 तहसीलदार बालेसर ने राज्य सरकार राजस्व विभाग (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10–8–2016 के अनुसरण मे रास्तो की समस्याओ के समाधान हेतु चलाये गये रास्ता अभियान जिसमे मौके का सर्वे करवाकर मौके पर चालू रास्तो के राजस्व रेकर्ड मे अंकन करवाने हेतु पटवार मण्डल बारनाऊ के राजस्व ग्राम बेरडो का बास के खसरा नंबरान 692, 691, 695, 698/2, 698, 698/1, 700, 701, 717/4, 747/1, 747/2, 500/2, 599/1, 599, 599/3, 598, 598/1, 598/2, 598/3, 752/2 कुल 20 खसरान की 4.17 बीघा मे गे.मु.रास्ता दर्ज करवाने का प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर के समक्ष प्रेषित किया गया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रस्तावित रकबे की भूमि गैर मुमकीन रास्ता दर्ज के रूप मे दर्ज करने के आदेश कमांक/न्याय/2018 दिनांक 30–5–2018 को पारित करते हुए राजस्व रेकर्ड रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि का पृथक से खसरा नंबर कायम कर किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज करने तथा नक्शे मे प्रस्तावित भूमि का लाल स्याही से अंकन करने के आदेश पारित कर दिये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

अपीलांट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज किये बिना तथा पक्षकारान को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

किये बिना ही खातेदारान की खातेदारी की भूमि मे से सीधे गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जिससे अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही प्रदान नही किया गया इसलिए अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत एवं धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए पारित किया हुआ होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–5–2018 को अपास्त कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारो की उपस्थिति मे रास्तो का मौका निरीक्षण कर उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय पारित करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते की समस्याओं के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के तहत तहसीलदार बालेसर ने उनके अधीन ऐसे कदीमी/चालू रास्ते जो मौके पर चालू है तथा आमजन के उपयोग मे आ रहा है परंतु उनका रास्ते के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही है, ऐसे रास्तो को चिन्हित कर, रास्ते के रूप मे उपयोग मे आ रही भूमि की किस्म गै0मु0रास्ता राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नक्शे मे दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय मे उपखण्ड अधिकारी बालेसर के समक्ष प्रेषित किया जाने पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से उसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–5–2018 का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अपीलाधीन आदेश पारित करने के संबंध मे अपनाई की प्रकिया आदि का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि तहसीलदार बालेसर ने उनके पत्रांक 639 दिनांक 30–5–2018 के सलंग्न मौके पटवार मण्डल बारनाऊ के राजस्व ग्राम बेरडो का बास के खसरा नंबरान 692, 691, 695, 698/2, 698, 698/1, 700, 701, 717/4, 747/1, 747/2, 500/2, 599/1, 599, 599/3, 598, 598/1, 598/2, 598/3, 752/2 कुल 20 खसरान की 4.17 बीघा भूमि पर चालू रास्ते जो आवागमन के काम आ रहे है परंतु अभी तक खातेदारो की खातेदारी मे दर्ज चले आ रहा है, उनका राज्य सरकार राजस्व विभाग (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10–8–2016 के अनुसरण मे के राजस्व रेकर्ड मे गे.मु.रास्ता दर्ज करवाने का प्रस्ताव के साथ मे खातेदारान के खातेदारी बाबत जमाबंदी की नकले, राजस्व नक्शा, प्रस्तावित रास्ते का रकबा आदि सलंग्न प्रस्तुत किये । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने उसी दिन प्रस्तावित रास्ते की भूमि के खातेदारो को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रस्ताव मे वर्णित रकबे की भूमि का राजस्व रेकर्ड मे गै0मु0रास्ता दर्ज करने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये जबकि विधि मे यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी खातेदार के खातेदारी के रकबे मे कमी–बेशी करने से पूर्व खातेदार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है परंतु

अंधीनस्थ न्यायालय ने इसकी पालना किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–5–2018 मे से मात्र अपीलांट की ग्राम बेरडो का बास स्थित खातेदारी के खसरा नंबर 752/2 रकबा 19.11 बीघा मे से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का रकबा 0.09 बीघा को गै0मु0रास्ते मे दर्ज करने बाबत पारित किये गये निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बालेसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट की उपस्थिति मे उसके खातेदारी के खेत मे से चल रहे कदीमी/चालू रास्ते का मौका निरीक्षण कर, उसे सुनकर तथा मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर अपीलांट के हस्ताक्षर करवा कर यदि उसके खातेदारी के खसरा नंबर 752/2 मे से कोई रास्ता चालू है तथा आवागमन के उपयोग मे आ रहा है तो उसे बंद किये बिना उसका प्रस्ताव पृथक से बनाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर को प्रेषित करे तथा अधीनस्थ न्यायालय उसके अनुरूप पुनः नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 12–2–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर